| | |
|---|---|
| 12/6/24 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पर पूर्व मे सुनी जा चुकी है। |

न्यायालय _____ बनाम _____

मुकदमा संख्या / वर्ष _____ : _____ / 20 _____

| क्र0स0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष दि |
|---|---|---|---|
| | 12-06-24 | दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.4932 है०, ख. न० 422 रकबा 0.1265 है० ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तह० व जिला जयपुर, वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भुवाना S/o बालू के नाम दर्ज है एवं मौके पर सघन आबादी विकसित है। उक्त भूमि कृषि योग्य शेष नहीं बची है। उक्त विचाराधीन भूमि मे ना तो वादी रिकॉर्डेड खातेदार है, ना ही भूमि कृषि योग्य है। ऐसे मे वादी का वाद Barred by law होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।<br>अप्रार्थी/वादी अधि० ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति मे जमाबंदी की पर्त न्यायालय के अभिलेख पर है जिसमे वादग्रस्त अराजी कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है, इसके साथ ही अप्रार्थी अधि० ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र मे यह उल्लेखित नहीं किया कि सिविल | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय A-CM Jaipur ईस्ट

~~गिरधारी~~ सुवालाल बनाम गिरधारी

मुकदमा संख्या / वर्ष . T.2 05/2023 / 20

| क्र0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 12-06-24 | प्रक्रिया संहिता के कौनसे प्रावधान वादी के वाद-पत्र को वर्जित करते है। उक्त प्रार्थी का प्रा० पत्र सारहीन, निरर्थक है, जो खारिजी योग्य है।<br>उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेजात् के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, राज० काश्तकारी अधि. पेश किया है।<br>वादी उक्त वादग्रस्त आराजी मे ना तो रिकॉर्डेड खातेदार है और ना ही वादी ने खातेदार अभिधारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसलिए बिना खातेदार अभिधारी हुए वादी को कोई Cause of Action / वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकता।<br>धारा 188 राज० काश्तकारी अधि. 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जा सकता, जो अभिधारी नहीं है। केवल रिकॉर्डेड खातेदार ही धारा 188 के अन्तर्गत वाद दायर कर सकता है। | |

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

बनाम

/ 20

मुकदमा संख्या / वर्ष

| क्र0स0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 12 06 2024 | सारतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद धारा -188, राज० काश्तकारी अधि. 1955 से वर्जित / ~~बाधित~~ बाधित होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने की स्थिति मे खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12/06/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम